# न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़
## पीठासीन अधिकारी **चेतन देवड़ा**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 09/2019 (रसद)
पंजीयन दिनांक 13.06.2019

श्री मोहनदास पिता बंशीदास बैरागी उम्र 32 वर्ष, निवासी सेठवाना तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

......अपीलान्ट

बनाम

1- जिला रसद अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, चित्तौड़गढ़
2- श्री रामेश्वरलाल पिता नाथू जी जटिया, उम्र 31 वर्ष, निवासी सेठवाना, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

......विपक्षीगण

**अपील विरूद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 77/2018 दिनांक 04.01.2019 उनवान सरकार बनाम मोहनदास**

**उपस्थितिः- 1-श्री चन्दनमल जणवा, अधिवक्ता अपीलान्ट**
**2-श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार**

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

### निर्णय

दिनांक 18.02.2020

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने प्रकरण संख्या 77/2018 निर्णय दिनांक 04.01.2019 से सतर्कता समिति में दिनांक 05.12.2017 को प्राप्त शिकायत की जांच प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़ से कराई जिसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का प्राधिकार पत्र संख्या 36/2006 निरस्त करने का आदेश पारित किया जो कि निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ का आदेश दिनांक 04.01.2019 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र संख्या 36/2006 बहाल किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गए। विपक्षी संख्या 2 ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया उसके पश्चात् विपक्षी संख्या 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। जिला रसद अधिकारी की ओर से पैरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी के उपस्थित होने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वर्ष 2017 में दिनांक 07.07.2017 को विपक्षी संख्या 2 रामेश्वरलाल की शिकायत के आधार पर तत्कालीन जिला रसद अधिकारी ने अपीलांट का लाईसेन्स निलंबित कर दिया जिसे जिला रसद अधिकारी द्वारा पुनः बहाल कर दिया। लाईसेन्स बहाल किए जाने पर रामेश्वरलाल द्वारा दिनांक 05.12.2017 को पुनः सतर्कता समिति में शिकायत दर्ज करवाई की अपीलांट द्वारा राशन की कालाबाजारी की शिकायत करने पर दिनांक 07.07.2017 को लाईसेन्स 90 दिवस के लिए निलंबित कर दिया जिसे पुनः बहाल किया गया है जिसकी पुनः जांच करवाई जावे। जिला कलक्टर के आदेश पर जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 77/2018 दिनांक 21.03.2018 को दर्ज किया गया जिसमें दिनांक 26.07.2018 को प्रवर्तन अधिकारी द्वारा पर्चा मौका बनाया गया व गवाहान शंभूलाल, माधुलाल, राधेश्याम तथा शिकायतकर्ता रामेश्वरलाल जटिया के बयान लिये गये उक्त सभी गवाहान को राशन जीएसएस सेंटर डेलवास से मिलता है जो सेठ्वाना ग्राम के अन्तर्गत नहीं आते हैं जिनके बयानों के आधार पर लाईसेंस निलम्बित किया गया है जो निरस्त योग्य है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 14.04.2018 को मुकेश शर्मा के मकान में अपीलांट के द्वारा ड्रम व अन्य सामग्री रखी होना बताते हुए जिसके ताले तोडे गये जबकि गेहूं व अन्य सामग्री उचित मूल्य दुकान में पडे हुए थे जिसके ताले नहीं तोडे गये उसके बावजूद मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर बाद में निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलांट को नोटिस दिया जिसका जवाब दिनांक 03.07.2018 को अपीलांट द्वारा स्वयं उपस्थित होकर पेश किया। दिनांक 26.03.2018 को अपीलांट को निलम्बित करने का आदेश दिया तथा आगामी पेशी 27.07.2018 दी गई इस दौरान अपीलांट के दादाजी की मृत्यु हो गई तथा दिनांक 27.07.2018 की पेशी होते हुए भी दिनांक 24.07.2018 को ही अपीलांट के विरूद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश पारित कर दिया। जिला रसद अधिकारी द्वारा बिना जांच किए तथा बिना अपीलांट को सुने अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित लाईसेन्स निरस्तगी के आदेश की जानकारी अपीलांट को नहीं थी। कई बार कार्यालय में जाकर सम्पर्क किया लेकिन कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। सर्वप्रथम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ

जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जानकारी 31.05.2019 को होने पर बिना किसी देर विधिक राय लेकर यह आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः अपीलांट स्वीकार कर जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ का आदेश दिनांक 04.01.2019 निरस्त कर अपीलांट का प्राधिकार पत्र संख्या 36/2006 बहाल करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि अपीलांट के विरूद्ध जिला सतर्कता समिति में दिनांक 05.12.2017 को शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उक्त शिकायत की जांच हेतु दिनांक 16.02.2018 को मौके पर पहुंच जांच की जिसमें दुकान बंद पाई गई तथा उस समय उपभोक्ता पखवाड़ा चल रहा था। अपीलांट से दूरभाष पर संपर्क करने पर दुकान का निरीक्षण कराने से मना कर दिया तथा मौके पर उपस्थित नहीं हुआ जिससे दिनांक 26.03.2018 को अपीलांट को निलम्बित करने का आदेश पारित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया। अपीलांट को निलम्बित कर अस्थाई व्यवस्था श्री रणवीर सिंह पराना को दी गई जिस पर भी अपीलांट द्वारा श्री रणवीर सिंह को चार्ज नहीं दिया जिससे दिनांक 14.04.2018 को पुनः प्रवर्तन निरीक्षक, बेगूं को चार्ज का हस्तान्तरण कराने हेतु निर्देशित किये जाने पर पुनः मौके पर पहुंचे फिर दुकान बंद पाई गई। दूरभाष पर संपर्क कर अपीलांट को मौके पर बुलाया ताला खोलकर चार्ज श्री रणवीर सिंह डीलर पराना को देने हेतु कहा तो अपीलांट ने चाबी घर पर होना बताते हुए चाबी लेने गया तथा 1 घण्टा इंतजार करने के बावजूद भी मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। मौके पर देलवास सरपंच गौतम जटिया को बुलाकर उपस्थित मौतबिरान के समक्ष उ. मू. दुकान का ताला तोडकर पंचनामा तैयार किया भौतिक सत्यापन करने पर गेहूं, केरोसीन एवं चीनी का स्टॉक शून्य पाया गया। इस प्रकार विपक्षी को तीन बार कारण बताओ नोटिस जारी किये गये तथा दिनांक 16.02.2018 से 27.08.2018 के मध्य कई बार मौके पर निरीक्षण किए किन्तु अपीलांट द्वारा चार्ज नहीं दिया तथा दिनांक 28.08.2018 को पुलिस के साथ पहुंचकर अपीलांट से चार्ज दिलवाया गया। इस प्रकार उपभोक्ता पखवाडे में दुकान बन्द रखना, राशन सामग्री की कालाबाजारी करना तथा राजकीय आदेशों की अवहेलना करना आदि अनियमितताऐं करने से राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो के उल्लंघन में आता है। अतः प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण हेतु पारित आदेश दिनांक 04.01.2019 विधि-सम्मत् होने से अपील निरस्त फरमाई जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तद्नुसार धारा 5 मियाद

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 05.12.17 को शिकायत प्रस्तुत होने पर सतर्कता अनुभाग द्वारा शिकायत के संबंध में बिन्दुवार जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु जिला रसद अधिकारी को निर्देशित करने पर जिला रसद अधिकारी द्वारा उक्त शिकायत के संबंध मे जांच कराई। उक्त शिकायत की जांच के क्रम में प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 16.02.2018 को उचित मूल्य दुकान श्री मोहनदास सेठ्वाना का निरीक्षण करने पर उपभोक्ता पखवाडे में दुकान बंद पाई गई तथा उचित मूल्य दुकानदार को दूरभाष पर सूचित कर दुकान का निरीक्षण कराने हेतु निर्देशित करने पर उसके द्वारा दुकान का निरीक्षण कराने से मना कर दिया। ऑनलाईन रेकॉर्ड अनुसार वक्त निरीक्षण स्टॉक 8143 कि. ग्रा. होना चाहिए था जिसकी दुकान बंद होने से जांच नहीं हो सकी। जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा आदेश कमांक 983 दिनांक 26.03.2018 से अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर, दिनांक 26.03.2018 से कारण बताओ नोटिस जारी कर दिनांक 03.04.2018 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए उक्त दुकान की अस्थाई व्यवस्था हेतु श्री रणवीर सिंह उ. मू. दुकानदार पिराना को चार्ज देने हेतु अपीलांट को निर्देशित करने के बावजूद भी अपीलांट द्वारा चार्ज नहीं दिया जिस पर प्रवर्तन निरीक्षक, बेगूं श्री भंवरलाल नाई को जिला रसद अधिकारी द्वारा चार्ज लेने देन कराने हेतु निर्देशित किये जाने पर दिनांक 14.04.2018 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मौके पर दुकान बंद पाई गई। दूरभाष पर संपर्क कर अपीलांट को मौके पर बुलाया ताला खोलकर चार्ज श्री रणवीर सिंह डीलर पिराना को देने हेतु कहा तो अपीलांट ने चाबी घर पर होना बताते हुए चाबी लेने गया तथा 1 घण्टा इंतजार करने के बावजूद भी मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। पुनः दिनांक 07.05.2018, दिनांक 13.06.2018 एवं दिनांक 17.07.2018 को कारण बताओ नोटिस जारी करने पर भी मात्र नोटिस दिनांक 13.06.2018 का जवाब ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत करना पाया गया है तथा अन्य नोटिसों का कोई जवाब अपीलांट द्वारा प्रस्तुत करना उपलब्ध रेकार्ड से नहीं पाया गया है।

अपीलाण्ट को चार बार कारण बताओ नोटिस जारी कर उचित मूल्य दुकान सेठ्वाना का अस्थाई व्यवस्था हेतु चार्ज श्री रणवीर सिंह उचित मूल्य दुकानदार पिराना को लेन-देन करने हेतु निर्देशित करने के बावजूद भी उनके द्वारा चार्ज उपलब्ध नहीं करवाया गया। दिनांक 16.02.2018 से 27.08.2018 तक प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अलग-अलग दिनांको में कई बार मौके पर उपस्थित होकर अपीलांट को भौतिक सत्यापन कराने तथा अवशेष स्टॉक एवं पोस मशीन चार्ज, अस्थाई अटेचमेन्ट श्री रणवीर सिंह उचित मूल्य दुकानदार, पिराना को उपलब्ध कराने हेतु सूचित करने के बावजूद तथा दूरभाष पर वार्ता करने पर भी अपीलांट द्वारा चार्ज लेन-देन नहीं किया गया है तथा न ही मौके पर उपस्थित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

हुए हैं। जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रवर्तन अधिकारी को अपीलांट के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु निर्देशित किये जाने के पश्चात् दिनांक 28.08.2018 को पुलिस की उपस्थिति में उनके द्वारा अवशेष सामग्री एवं पोस मशीन अस्थाई अटेचमेन्ट श्री रणवीर सिंह पिराना को उपलब्ध कराई गई है जो कि अपीलाण्ट द्वारा राजकीय आदेशों की अवहेलना तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य सामग्री का समय पर वितरण नहीं करने एवं उपभोक्ता पखवाडे में दुकान बन्द रखने जैसी गम्भीर अनियमितताएं की गई है जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है एवं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त करने एवं प्रतिभूति राशि जब्त करने संबंधी पारित निर्णय दिनांक 04.01.2019 यथावत रखा जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(चेतन देवड़ा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official